

PVL-1

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-प.1(3)न्याय/2010

दिनांक :- 5 JUN 2020

अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 8 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.01.2011 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिये नियुक्त किये जाने वाले जिला न्यायाधीशों की संख्या 35 के स्थान पर 36 नियत करते हुए जिला न्यायालय, जयपुर महानगर के विद्यमान न्यायालय के स्थान पर निम्न जिला न्यायालय स्थापित करती है और उनके न्यायालयों के बैठक के स्थान एवं क्षेत्राधिकार की सीमा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार नियत करती है:-

क्र.सं.	जिला न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1.	जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-I	जयपुर	उपायुक्त पुलिस जयपुर पूर्व एवं दक्षिण के अधीन आने वाला क्षेत्र
2.	जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-II	जयपुर	उपायुक्त पुलिस जयपुर पश्चिम एवं उत्तर के अधीन आने वाला क्षेत्र

राज्यपाल के आदेश से,
 5.6.2020
 (विनोद कुमार भारवानी)
 प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/08/19/732

Date: 08/06/2020

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. All the District & Sessions Judges.
3. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
4. A.O.J. Computer Cell (for uploading the same on high court website), Rajasthan High Court, Jodhpur.

5.6.2020
 REGISTRAR (RULES)

RUC-11

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक:-प.1(3)न्याय/2010

दिनांक - 5 JUN 2020

अधिसूचना

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या-2) की धारा 7 की उपधारा (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.01.2011 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् सेशन खण्ड जयपुर महानगर के विद्यमान सेशन खण्ड के स्थान पर निम्न सेशन खण्ड स्थापित करती है, जिनकी प्रादेशिक सीमा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार होगी:-

क्र.सं.	सेशन खण्ड का नाम	प्रादेशिक सीमा
1.	जयपुर महानगर-I	उपायुक्त पुलिस जयपुर पूर्व एवं दक्षिण के अधीन आने वाला क्षेत्र ।
2.	जयपुर महानगर-II	उपायुक्त पुलिस जयपुर पश्चिम एवं उत्तर के अधीन आने वाला क्षेत्र ।

राज्यपाल के आदेश से,

 (विनोद कुमार भारवानी)
 प्रमुख शासन सचिव

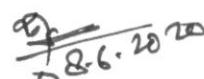
RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/08/19/733

Date: 08/06/2020

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. All the District & Sessions Judges.
3. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
4. A.O.J. Computer Cell (for uploading the same on high court website), Rajasthan High Court, Jodhpur.


 REGISTRAR (RULES)

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

5 JUN 2020

क्रमांक:-प.1(3)न्याय/2010

दिनांक

अधिसूचना

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से, पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04.01.2011 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात् सम्पूर्ण राजस्थान राज्य के लिये सेशन खण्डों की संख्या 35 के स्थान पर 36 निश्चित करते हुए जयपुर महानगर के विद्यमान सेशन खण्ड में संशोधन करते हुए जयपुर महानगर-I, जयपुर महानगर-II सेशन खण्ड हेतु निम्नानुसार सेशन न्यायालय स्थापित करती है:-

क्र.सं.	सेशन खण्ड का नाम	सेशन न्यायालय का नाम
1.	जयपुर महानगर-I	सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर-I
2.	जयपुर महानगर-II	सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर-II

राज्यपाल के आदेश से,
5-6-2020
(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/08/19/736

Date: 08/06/2020

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. All the District & Sessions Judges.
3. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
4. A.O.J. Computer Cell (for uploading the same on high court website), Rajasthan High Court, Jodhpur.

REGISTRAR (RULES)